

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में यलन करें।

नहीं

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्य के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय निरीक्षण
श्री ०१०००० प्रभाग लीलापुर
के संबन्धित के आधार
पर संरक्षक की राय है।

दिनांक..... 20-12-2022.....
स्थान..... अजमेर.....

हस्ताक्षर
नाम रेणु सिंह
सरकारी मोहर
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर मण्डल, ३०५० ०० अजमेर